

दिव्यामृक प्रैट

वर्ष : 5, अंक : 27

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 26 फरवरी से 3 मार्च 2020

पेज : 4 कीमत : 3 रुपये



दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में 20 भारत के

दुनिया के 200 प्रदूषित शहरों में से लगभग 90 फीसदी शहर भारत और चीन के हैं। हालांकि प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर बांग्लादेश का ढाका है, लेकिन तीसरे नंबर पर मुंबई है। दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का ओहदा हासिल हुआ है। अगर देशों की बात की जाए तो पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर मंगोलिया, चौथे पर अफगानिस्तान और पांचवें नंबर पर भारत है।

आईक्यूएयर विजुअल ने 25 फरवरी को यूएस एयर क्लाइटी इंडेक्स 2019 जारी किया है। इसमें दुनिया के 5000 शहरों के बायु प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पीएम 2.5 के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली पांचवें, नोएडा छठे, गुग्राम सातवें, ग्रेटर नोएडा नौवें, बंधवाड़ी दसवें, लखनऊ 11वें, बुलंदशहर 13वें, मुजफ्फरनगर 14वें, बागपत 15वें, जींद 17वें, फरीदाबाद 18वें, भिवाड़ी 20वें, पटना 22वें, पलवल 23वें, मुजफ्फरपुर 25वें, हिसार 26वें, कुटेल 28वें, जोधपुर 29वें और मुरादाबाद 30वें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में प्रदूषण की हालत खराब बनी हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के गुजरांवाला तीसरा, फैसलाबाद चौथे, रावलपिंडी आठवें स्थान पर है।

बांग्लादेश का ढाका भी प्रदूषित शहरों में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित है।

रहना चाहिए, लेकिन गलीन एयर प्रोग्राम को सराहा गया है और कहा गया है कि इससे शहरों की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जैसे कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद में



दुनिया के 355 शहरों में से इन क्षेत्रों के केवल 6 शहर ऐसे हैं, जहां हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय लक्ष्य के मुताबिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, पीएम 2.5 सालाना 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

2019 में भारत के 98 प्रतिशत शहरों में बायु प्रदूषण कम हुआ है। केवल नागपुर में थोड़ा सा बड़ा है। नवंबर 2019 में दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्लाइटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया था।

रिपोर्ट में भारत के नेशनल 2017 में एयर क्लाइटी इंडेक्स 144.6 था, जो 2018 में 135.2 हुआ और 2019 में 110.2 रह गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मकसद 2024 तक देश के 102 शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 को 20 से 30 फीसदी कम करना है।

भारत में लुप्तप्राय शेरों की निगरानी के लिए एक वैकल्पिक तरीका उनकी संख्या आंकड़ों में सुधार कर सकता है। साथ ही इससे शेरों की संरक्षण नीति और प्रबंधन निर्णयों में मदद मिल सकती है।

गोगोई और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोगियों ने शेरों की गिनती के नए तरीके पर ओपन-एक्सेस पत्रिका प्लोस वन में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।

शेरों की आबादी का सही आकलन करने के लिए नई विधि, संरक्षण में मिल सकती है मदद



गुजरात के गिर जंगलों में केवल 50 की संख्या में बचे हुए एशियाई शेरों को संरक्षण के द्वारा बचाया गया था, जिनकी आज अनुमानित संख्या 500 तक पहुंच गई है। हालांकि, मौजूदा निगरानी के तरीके, विशेष रूप से एक तकनीक जिसे (टोटल काउंट्स) कुल गिनती के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में गिनने के दौरान कुछ शेर छूट सकते हैं या उनकी दोबारा गिनती हो सकती है। यह तरीका शेरों के स्थानीय आबादी के घनत्व पर बहुत सीमित जानकारी देता है।

नए अध्ययन में, गोगोई और उनके सहकर्ताओं ने एशियाई शेरों की निगरानी के लिए एक वैकल्पिक तरीके का प्रयोग किया है। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अलग-अलग शेरों की पहचान करने के लिए मूँछ पैटर्न और शेरीर के स्थायी निशानों को पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया है। शेरों के आबादी के घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक गणितीय मॉडलिंग विधि के साथ डेटा का विश्लेषण किया जाता है।

जिसे स्थानीय तौर पर स्पष्ट रूप से कैचर रिकैचर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शेरों द्वारा किए जाने वाले शिकार की आबादी का घनत्व और अन्य कारकों का भी आकलन किया जो शेर के आबादी के घनत्व की विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने गिर के जंगल में 725 वर्ग किलोमीटर में एक अध्ययन किया, जिसके अंदर 368 शेर देखे गए। इनमें से 67 अलग-अलग शेरों की पहचान की गई, जिसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 8.53 शेरों की आबादी के घनत्व का अनुमान लगाया गया। ऊबड़-खाबड़ या ऊंचे क्षेत्रों के विपरीत समतल घाटी में शेरों की आबादी का घनत्व अधिक पाया गया था और निकटवर्ती स्थलों पर जहां पर्यटक शेरों को देखना चाहते हैं वहां शेरों को आकर्षित करने के लिए भोजन रखा गया था।

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पर्यटन के लिए शेरों को लालच देने से उनके प्राकृतिक

आबादी के घनत्व पैटर्न को बहुत नुकसान होता है। अन्य शोध भी यह दर्शाते हैं कि लालच के रूप में चारा देना शेर के व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता (डाइनैमिक्स) को बाधित करता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि उनकी वैकल्पिक निगरानी पद्धति का उपयोग शेरों को उनकी सीमा का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा संरक्षण प्रयासों को अधिक सटीक रूप से उपयोग किया जा सके।

शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र आबादी सौराष्ट्र में जीवित है। विज्ञान और प्रबंधन का अच्छा उपयोग करके इन उप-प्रजातियों का प्राथमिकता के साथ संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। यह शोध इस प्राथमिकता को उनकी संख्या मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग दुनिया भर में शेरों की आबादी का संरक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

पेड़ों के बीजों को छट कर जाते हैं कीट, इसलिए बढ़ रहा है तापमान

इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल द्वारा किए गए शोध में पेड़ों की मास्टिंग और उनके बीजों को खाने वाले कीटों के बीच जटिल संबंधों पर जलवायु के प्रभाव का पता चला है। मास्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ साल-दर-साल अलग-अलग मात्रा में बीजों का उत्पादन करते हैं। कई पेड़ों की प्रजातियों में यह विशेषता पाई जाती है, जिनमें ओक, बीच, चीड़ और स्प्रेज़ शामिल हैं। यह प्रक्रिया फायदेमंद होती है क्योंकि बन्धकाल के वर्षों के दौरान, बीजों को खाने वाले जीव जैसे पतंगे आदि भूखे रह जाते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या कम हो जाती है। जबकि बन्धकाल के वर्षों में, बीज का उत्पादन में इतना अधिक होता है कि यह बीजों को

खाने वाले कीटों को भरपूर भोजन प्रदान करता है। बीज का उत्पादन अधिक होने के कारण इनके जमने की संभावना बढ़ जाती है जिससे ये अगली पीढ़ी के पेड़ों के रूप में उग सकते हैं।

हालांकि, नेचर प्लांट्स में प्रकाशित बीच ट्री सीड़ प्रोडक्शन के एक अध्ययन में पाया गया कि गर्म तापमान के कारण बीज उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ, साल-दर-साल बदलाव हो रहा है। विशेष रूप से अकाल के वर्षों में बीज उत्पादन में कमी आई है। इस प्रकार बीज उत्पादन में



जलवायु के प्रभाव से होने वाली वृद्धि से बीज खाने वाले जीवों को फायदा होता है, इसका पेड़ पौधों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल स्कूल एनवायर्नमेंटल साइंसेज के सह-अध्ययनकर्ता डॉ. एंड्रयू हैकेट-पैन ने कहा कि यह अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बीच के पेड़ों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन से पेड़ों के बीज उत्पादन में वृद्धि हो रही है? लेकिन हमने देखा कि बीज उत्पादन में

वृद्धि से मोश लार्वा नामक जीव को लाभ हो रहा है इसकी बीज खपत की क्षमता लगभग पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ अधिक बीजों का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनके बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैनचेस्टर मेरीपोलिटन यूनिवर्सिटी के डॉ. जोनाथन लेगर्ड ने कहा कि, इस शोध में, हमने चार दशकों तक निगरानी किए गए डेटा का उपयोग किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जलवायु परिवर्तन ने सबसे व्यापक पेड़ों में से एक के प्रजनन को कैसे प्रभावित किया है। हमने देखा कि उस समय की अवधि में बीज उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इस उत्पादन का फायदा केवल बीज खाने वाले कीटों को हुआ।

उत्तराखण्ड में 29 डिग्री पहुंचा तापमान, जंगलों में आग से लगने लगी आग

उत्तराखण्ड की केदारनाथ घाटी के ऊंचाई वाले जंगलों में 14 फरवरी की रात से दिख रही हैं आग की लपटें। फोटो = त्रिलोचन भट्टउत्तराखण्ड वन विभाग का फॉरेस्ट फायर सीजन आज शुरू हो गया है। यह सीजन मानसून आने तक यानी लगभग 15 जून तक चलेगा। लेकिन, इस बार औपचारिक फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही बनान्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जोशीमठ के पास उर्गम घाटी में 12 और 13 फरवरी को लगातार दो दिन तक जंगल में आग सुलगती रही। केदारनाथ घाटी में तुंगनाथ के पास के जंगलों में 14 फरवरी से आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग की इन घटनाओं से वन विभाग की चिन्हाएं बढ़ गई हैं। हालांकि विभाग ने दावा किया है कि जंगलों की आग से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो जाने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, लेकिन आग की एक-दो घटनाओं से निपटने में दो-दो दिन लग जाने से अंदाजा लगाया जाता है कि पीक सीजन में जब एक ही दिन में सैकड़ों जगहों पर वनों में आग लग जाती है, तब

वन विभाग इससे कैसे निपटेगा। इस बार दिसम्बर और जनवरी के महीने में अच्छी बारिश और बर्फबारी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वनों में आग की घटनाओं में कमी आएगी और आग लगने घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में देर से शुरू होंगी, लेकिन फरवरी पहले पखवाड़े में अचानक तापमान में हुई जबरदस्त बढ़ोत्तरी और चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों में आग की घटनाओं ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

पिछले दस वर्षों में पहली बार फरवरी के पहले पखवाड़े में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बीते 13 फरवरी को देहरादून में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 2010 के बाद फरवरी के महीने में दो ही ऐसे मौके आए हैं, जब अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। लेकिन, दोनों बार ऐसा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हुआ। 23 फरवरी, 2018 को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और 28 फरवरी, 2010 को 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फरवरी महीने में देहरादून में अब तक

का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 2006 में 25 फरवरी को दर्ज किया गया था।

देहरादून में मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक विक्रम सिंह मानते हैं कि फरवरी के पहले पखवाड़े में तापमान में यह बढ़ोत्तरी अप्रत्याशित है, लेकिन वे कहते हैं कि अगले दिनों में तापमान में कमी दर्ज होगी। इसके बावजूद वे सलाह देते हैं कि वन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है।

पर्यावरणविद् रमेश पहाड़ी कहते हैं कि बर्फबारी के कुछ दिन बाद ही कई जगह जंगलों में आग की लपटें नजर आने लगी हैं। यह बेहद चिन्ताजनक स्थिति है। वे कहते हैं कि यदि समय रहते सभी बंदोबस्त नहीं किये गये तो स्थितियां 2016 से भी बदतर हो सकती हैं। उल्लेखनीय

है कि 2016 में उत्तराखण्ड के जंगलों में आग की अब तक की सबसे ज्यादा और सबसे भयावह घटनाएं घटी थीं। उस वर्ष कुल 4,538 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया था। वर्ष 2010 से 2019 तक राज्य में कुल 19,945 हेक्टेयर वन आग से स्वाहा हुए, यानी कि हर साल औसतन 1994 हेक्टेयर वनों में आग लगी। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वनों की आग से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वन विभाग में फॉरेस्ट फायर के नोडल अधिकारी बीके गांगटे ने दावा किया है कि वनों की आग से निपटने के लिए 40 मास्टर कंट्रोल रूम और 175 वॉच टावर बनाये गये हैं। इसके अलावा 1437 क्रू स्टेशन बनाए गये हैं, जिनमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात

रहेंगे। उनका दावा है कि आग की सूचना देने के लिए इस बार 35 रिपीटर, 506 वायरलेस सेट, 1631 हैंडसेट और 199 मोबाइल सेट की व्यवस्था की गई है।

मध्य हिमालयी क्षेत्र के वनों में हर साल होने वाली आग की घटनाओं पर नजर रखने वाले उत्तराखण्ड वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसपी सती वन विभाग के इन वाँवों पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि वन विभाग हर वर्ष ऐसे दावे करता है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों हेक्टेयर वन जल जाते हैं। वे कहते हैं कि उत्तराखण्ड के ज्यादातर घने जंगल बेहद दुर्गम हैं, इन जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए आज तक विभाग कोई कारगर उपाय नहीं कर पाया है।

पटना में सूखने लगे ट्रांसलोकेट किए गए पेड़

पिछले साल जब बिहार की राजधानी पटना में सड़कों की चौड़ा करने और दूसरे निर्माण कार्यों की वजह से पुराने पेड़ों की कटाई होने लगी थी तो शहर के जागरूक नागरिकों ने उसका तीखा विरोध किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बाद उस बक्तृत बिहार सरकार ने कहा था कि अब पेड़ों की कटाई नहीं होगी, उर्वे मरीन से ट्रांसलोकेट (स्थानांतरित) किया जाएगा। उस बक्तृत बाहर से मरीन मंगवा कर कुछ पेड़ों को स्थानांतरित किया भी गया, मगर जुलाई, 2019 से ही पेड़ों के स्थानांतरण का काम ठप है, क्योंकि पटना नगर निगम ने इस काम के लिये जरूरी पांच ट्रांसलोकेशन मरीनों की खरीदारी नहीं की है। एक सरकारी आवास समूह तैयार करने के लिये पटना के गर्दनीबाग मोहल्ले से 75 हजार पुराने पेड़ों को हटाना है, मगर ट्रांसलोकेट मरीन नहीं होने की वजह से



परियोजना भी रुकी है और पेड़ों का स्थानांतरण भी। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू का कहना है कि जून, 2019 में ही पांच मरीनों की खरीदारी के लिये 5 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी। मगर राशि के अभाव में अब तक

मरीन खरीदी नहीं जा सकी। शहर के तरु मित्र फाउंडेशन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता नागेश कहते हैं कि हमने शुरू से ही इस पद्धति का विरोध किया। क्योंकि हमें मालूम है ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया छोटे पेड़ों में ही सफल होती है,

बड़े पेड़ों में नहीं। नागेश की बात इसलिये भी सच मालूम होती है, क्योंकि पटना के आर ब्लॉक-दीघा सड़क के किनारे ट्रांसलोकेट करके लगाए गए तमाम पेड़ सूख गए हैं। इस सड़क के किनारे 15 सौ पेड़ों को लगाने की योजना है। इसके अलावा शेष पेड़ों को गंगा नदी के किनारे लगाने की योजना है। नागेश कहते हैं, वैसे भी लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे पटना शहर से किसी भी पेड़ को हटाना ठीक रहता है, हमें शहर की आबोहवा ठीक करने की जरूरत है। नागेश की संस्था तरुमित्र ने पटना शहर में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहर से पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी।

बीएएक्यूएमडी उत्सर्जन से वायु क्षेत्रों को नुकसान

संतुलन की स्थिति में अप-विंड एनओएक्स नियंत्रण फायदेमंद



दो वर्ष के प्रयासों और एक व्यापक वायु माप अधिनियम के बाद, सीएआरबी के पास यह साबित करने के लिए पर्यास सबूत थे कि बीएएक्यूएमडी उत्सर्जन वायु क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है और संतुलन की स्थिति में अप-विंड एनओएक्स नियंत्रण फायदेमंद रहेगा। विदरस्पून कहती हैं, बाद में पीएम 2.5 मृत्यु दर के प्रभावों के बारे में बढ़ी चिंताओं ने पूरे मामले पर बहस छेड़ दी क्योंकि एनओएक्स अप-विंड और डाउन-विंड, दोनों में सूक्ष्म कणों के निर्माण की शुरुआत करने वाला है।

पर्यंवक्षक यह भी बताते हैं कि प्रदूषण की अंतरराज्यीय आवाजाही को रोकने के लिए स्वच्छ वायु अधिनियम के कानूनी समर्थन के बावजूद इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तब तक मुश्किल है, जब तक बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले राज्य सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। ये अदालती मामले दशकों तक चलते हैं। इस तरह की स्पष्ट कमियों के बावजूद, संघीय और राज्य सरकारों ने वायु प्रदूषण को रोकने के क्षेत्रीय प्रयासों के बुनियादी औचित्य पर विश्वास जताया है। कैलिफोर्निया ने अप-विंड जिलों के लिए स्वयं के परिवहन प्रावधानों को अपनाया है जो कैलिफोर्निया स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत डाउन-विंड वायु प्रदूषण गहनता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड (सीएआरबी) के साथ काम कर चुकीं कैथरीन विदरस्पून बताती हैं,

प्रदूषण के दूर तक पहुंचने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना हमेशा विवादास्पद होता है। कैलिफोर्निया में यह स्पष्ट था कि तटवर्ती हवाओं ने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से सेंट्रल वैली में वायु प्रदूषण फैलाया।

हालांकि, बे एरिया एयर क्लाइटी मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट (बीएएक्यूएमडी) ने दो कारणों से अपने बिजली संयंत्रों और परिशोधनशालाओं में चुनिंदा उत्प्रेरक कटौती प्रणाली को स्थापित करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले, बीएएक्यूएमडी ने तर्क दिया कि नाइट्रोजेन (एनओएक्स) उत्सर्जन के उसके ऑक्साइड्स ने डाउन-विंड क्षेत्रों को काफी प्रभावित नहीं किया। दूसरा, बीएएक्यूएमडी ने तर्क दिया कि एनओएक्स उत्सर्जन अपनी सीमाओं के भीतर ओजोन को दबा रहा था और एनओएक्स के स्वच्छता प्रभाव को खोने से स्थानीय ओजोन का स्तर बदलता हो जाएगा। अंततः राज्य विधायिका ने हस्तक्षेप करते हुए सीएआरबी को निर्णय लेने के लिए कहा।

भारत में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए परस्पर सहमत कार्य योजना के आधार पर क्षेत्रीय सहयोग और दायित्वों से संबंधित ढांचे के निर्माण का समय आ गया है जिसमें पर्यास संसाधनों की सहायता से लक्ष्यों का निर्धारण भी शामिल है। भारत के एनसीएपी ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण और अंतरराज्यीय समन्वय के विचार को मन्यता दी है। इसमें उल्लेख किया गया है

कि क्षेत्रीय स्रोत आबंटन अध्ययनों से प्राप्त जानकारी को शामिल करके एक व्यापक क्षेत्रीय योजना बनाने की जरूरत है। इसमें कई उपायों को सूचीबद्ध किया गया है जो अनेक क्षेत्राधिकारों में पड़ते हैं और जिनकी प्रकृति क्षेत्रीय है। इनमें ईंधन संबंधी सख्त मानदंड, सड़क की बजाय रेल और जलमार्गों का इस्तेमाल, गाड़ियों का आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीतियां और संगत और स्पष्ट कराधान नीतियां शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र में यह कड़े औद्योगिक मानदंडों और स्वच्छ ईंधन तथा औद्योगिकियों की सिफारिश करता है। निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली को प्राथमिकता की गई है।

इसके अलावा, एनसीएपी ने खाना बनाने के लिए घरेलू ईंधन के तौर पर लिंकिफाइड पैट्रोलियम गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने तथा घरेलू स्तर पर ऐसे ही

अन्य उपाय करने का आह्वान किया है। पराली जलाने जैसे विशेष मामलों के संबंध में कार्यक्रम बनाने को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इन उपायों को क्षेत्रीय प्रतिमानों में शामिल जाना चाहिए और इन्हें अलग से या स्थानीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। अब तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई व्यापक कार्य योजना एकीकृत क्षेत्रीय योजना का एकमात्र उदाहरण है। पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस योजना को 2018 में

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के तहत अधिसूचित किया था। यह एकमात्र एकीकृत योजना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र की सभी रणनीतियों में समान कार्यान्वयन अपेक्षित है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में विषमता है। दिल्ली में, सभी क्षेत्रों में कोयले सहित ईंधन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है, ट्रकों की संख्या और कारों के डीजलाइजेशन में कमी आई है, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है, डीजल जनरेटर सेटों पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली की आपूर्ति में सुधार किया गया है, घरों में ठोस ईंधन का उपयोग काफी कम हो गया है और पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं जैसे उपायों को अपनाया गया है।

देश के कई क्षेत्रों में प्रदूषण के लड़ने में समान तेजी नहीं दिखाई है। इसलिए, यह सच है कि दिल्ली को अब भी छोटी और मझोली इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की विषमता को दूर करने, वाहनों की अधिक संख्या से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और औद्योगिक तथा नगरपालिका के क्षेत्रों को जलाने की गति को धीमा करने की रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही अन्य राज्यों को अपने स्तर पर आगे बढ़ने और मानदंडों को पूरा करने के संबंध में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।